[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं०. 3/2021- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

सा.का.नि.....(अ)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 259 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,-

(क) शब्द "जिनके मामले में एकीकृत कर का भुगतान करने की देयता है" के स्थान पर शब्द "जो कि इन पर एकीकृत कर का भुगतान करेंगे" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) शब्द "सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा" के स्थान पर शब्द "उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/53/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 06/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च 2019 को सा.का.नि. 259(अ), दिनांक 29 मार्च 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।